संख्या:- 2/2016/787/ छत्तीस-5-2016-7(21)/14

प्रेषक,

डॉ0 अनिता भटनागर जैन,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. श्रमायुक्त, उ0प्र0 कानपुर।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

श्रम अनुभाग-5 **लखनऊ: दिनांक 31 मई, 2016**

विषय- प्रदेश में स्थापित जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों / ई-सुविधा केन्द्रों के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना द्वारा श्रम विभाग की सेवाओं को आम जनमानस तक उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के पत्रांक-1507/78-2-2015-53 आई0 टी0/2008 दिनांक 23.09.2015 द्वारा विभिन्न विभागों की शासकीय सेवाओं में इलेक्ट्रानिक प्रणाली के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से आम जनमानस को उपलब्ध कराये जाने का निर्देश दिया गया है, जिससे प्रदेश में आम जन को शासकीय सेवाओं को त्वरित गति एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ उपलब्ध कराया जा सके। श्रम विभाग की 11 चयनित सेवाओं को आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है, ताकि श्रम विभाग की सेवाओं को जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों/ई-सुविधा केन्द्रों के माध्यम से सुगमतापूर्वक आम जनमानस को उपलब्ध कराया जा सके।

2- वर्तमान में जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों/ई-सुविधा केन्द्रों पर शासनादेश सं0-11/2016/11/78-2-2016-34आई0टी0/2010 दिनांक 04 फरवरी, 2016 द्वारा आम नागरिकों से प्रत्येक शासकीय सेवाओं के प्रत्येक ट्रान्जेक्शन के लिए यूजर चार्ज लिया जाने का निर्णय लिया गया है। तत्क्रम में श्रम विभाग की निम्नलिखित 11 सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से जनमानस को उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया

..........2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

गया है, जिसमें जन सामान्य/उद्यमियों को प्रत्येक शासकीय सेवा के लिये निम्नानुसार यूजर चार्ज लिया जायेगा :-

क्रम सं0	सेवा	यूजर चार्ज का अंश (रू0)				कुल चार्ज (रू0)
		एस0सी0ए0 /केन्द्र संचालक	विभाग	डी0ई0जी0एम0/ लोकवाणी सोसाइटी	सी0 ई0 जी0	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Registration of Establishment	6	-	7	2	15
2	Renewal of Establishment	6	-	7	2	15
3	Issuance of duplicate certificate for Registered Establishment	6	-	7	2	15
4	Notice of Change	6	-	7	2	15
5	Amendment Of Contractor License	6	-	7	2	15
6	Amendment Registration Of Establishment	6	-	7	2	15
7	License Of Contractor	6	-	7	2	15
8	Notice Of Commencement Or Completion Of Work	6	-	7	2	15
9	Registration Of Establishment Employing Contract Labour	6	-	7	2	15
10	Registration Of Motor Transport	6	-	7	2	15
11	Renewal Of Contract License	6	-	7	2	15

3- श्रम विभाग की चयनित सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेट करने के उपरान्त जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रो/ई-सुविधा केन्द्रों से प्रत्येक ट्रान्जेक्शन के लिए उपरोक्त प्रस्तर-2 के अनुसार यूजर चार्जेज लिये जायेंगे। यदि कोई नागरिक सीधे

..........3

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

विभागीय पोर्टल पर आवेदन करता है तो उस पर उपरोक्त यूजर चार्जेज लागू नहीं होंगे एवं नागरिक अपने क्रेडिट/डेबिट/नेट बैंकिंग से सेवा हेतु निर्धारित फीस का भुगतान करेगा। इसके अतिरिक्त केन्द्र आपरेटर सीधे विभागीय पोर्टल पर सेवा हेतु आवेदन करता है तो उस पर भी उपरोक्त यूजर चार्जेज लागू नहीं होंगे।

4- आवेदक द्वारा विभाग की सेवाओं को प्राप्त करने हेतु अपने निकटतम जन सेवा केन्द्र, लोकवाणी केन्द्र, जन सुविधा केन्द्र, तथा ई-सुविधा केन्द्र में जाकर केन्द्र आपरेटर से अनुरोध किये जाने के पश्चात केन्द्र आपरेटर ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लॉग-इन करेगा तथा विभागीय पोर्टल पर उनकी सेवाओं से संबंधित ई-फार्म एवं आवश्यक संलग्नकों को अपलोड करने के पश्चात इलेक्ट्रानिक्स प्रणाली के माध्यम से आवेदन पत्र संबंधित विभागीय सक्षम अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।

5- बिन्दु सं0-4 की समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन-पत्रों का निस्तारण विभागीय शासनादेशों एवं नियमों के अनुसार पूर्ण किया जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार सभी संबंधितों द्वारा अनिवार्य रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

भवदीया,

(डॉ0 अनिता भटनागर जैन)
प्रमुख सचिव

संख्या- 787/36-5-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. सी0ई0ओ0 नोएडा/ग्रेटर नोएडा।
3. प्रमुख सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश जी0टी0 रोड़, कानपुर।
5. राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. एस0आई0ओ0एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।
7. हेड एस0ई0एम0टी0 उत्तर प्रदेश।
8. निदेशक कारखाना/ब्वायलर्स, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त एवं श्रम प्रवर्तन अधिकारी, उ0प्र0।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शहजादे लाल)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in